

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/2791

दिनांक 23/12/2022

प्रार्थी :-

1.उदाराम 2.केसराराम पि.गिरधारीराम
3.वाली पत्नि गिरधारीराम 4.विकास
5.नरेन्द्रसिंह पि.खेराजराम 6.तीजोदेवी
पत्नि खेराजराम 7.जोधाराम 8.जगमाल
पि.चैना, जाति जाट,
निवासी नरोणियों का तला,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.खेमा 2.टीकमा 3.निम्बा पि.नवला
जाति जाट
निवासी नरोणियों का तला,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
4.तहसीलदार चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 86/2021

दिनांक : 22.12.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा नरोणियों का तला के खेत खसरा सं. 1412/1338 रकबा 75.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर किश्चिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2022/2792 to 2795
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण उदाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण खेमा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन

दिनांक 23/12/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन

